

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं० ०६/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 27 अप्रैल, 2017


विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.37 के तहत पंजीकरण के पत्तन के रूप में हजीरा (सूरत) पत्तन में अवस्थित समुद्री पत्तन को शामिल करने के संबंध में।

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. पंजीकरण के पत्तन से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (2015-2020) के पैरा 4.37 (क) में समुद्री पत्तन के अंत में हजीरा (सूरत) पत्तन में अवस्थित समुद्री पत्तन को जोड़ा जाता है।

(प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित संस्करण में, इन पत्तनों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सही क्रम में रखा जाएगा।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत निर्यात संवर्धन लाभों का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (2015-2020) के पैरा 4.37 (क) के तहत हजीरा (सूरत) पत्तन में अवस्थित समुद्री पत्तन को शामिल किया जाता है।



(ए. के. भल्ला)

महानिदेशक विदेश व्यापार

(फा० सं०-01/94/180/454/एम-11/पीसी-4 से जारी)